

The Uttarakhand Boving Breeding Act, 2018

Act No. 19 of 2018

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

1



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग–1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार 17 अप्रैल, 2018 ई0 चैत्र 27, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन् विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 205 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2018 देहरादून, 17 अप्रैल, 2018

<u>अधिसूचना</u> <u>विविध</u>

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन विधेयक, 2018 को दिनांक 14 अप्रैल 2018 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2018 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन अधिनियम, 2018 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड राज्य में गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन को विनियमित करते हुए उसमे सुधार के लिए गौवंशीय सांड एवं महिषवंशीय भैंसे का उपयोग वीर्य उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, विक्रय, वितरण तथा राज्य में गौ एवं महिषवंश की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं और तत्सम्बन्धी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए।

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:—

अध्याय—एक प्रारंभिक

		प्रारामक
संक्षिप्त नाम, विस्तार और	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन अधिनियम,
		2018 है।
प्रारम्भ		(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
		(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।
परिभाषाएं	2.	जब तक कि विषय एवं संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, तो इस अधिनियम में—
		(क) ''कृत्रिम गर्भाधान'' से एक परिपक्व गौ अथवा महिषवंशीय मादा शरीर के गर्भाशय में गर्भधारण के उद्देश्य से कृत्रिम तरीके से वीर्य निक्षेप करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;
		(ख) ' 'प्राधिकरण'' से इस अधिनियम के अध्याय 3 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
		(ग) ''अधिकृत कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता'' से एक पशुचिकित्सक या पशुधन प्रसार अधिकारी या पशुचिकित्सा फार्मासिस्ट (जिस भी नाम से जाना जाता हो) या प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता जो विहित शैक्षिक योग्यता, विशेषज्ञता
		कौशल एवम अनुभव रखता हो अभिप्रेत है;
		(घ) "गौ एवं महिषवंशीय" से गाय, सांड, ओसर भैंस, भैंसा और कलोर अभिप्रेत है;
		(ड़) ''गौ एवं महिषवंशीय प्रजननक'' से किसी भी व्यक्ति या संगठन या फर्म या एजेन्सी जो कि गौवंशीय एवं महिषवंशीय प्रजनन में कार्यरत है अभिप्रेत है;
		(च) "गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन" से गौ एवं महिषवंशीय सांडों के वीर्य अथवा गाय एवं भैंसों के भ्रूणों का प्रजनन हेतु उपयोग करना अभिप्रेत है;
		(छ) "प्रजनन नीति" से ऐसी पशुधन प्रजनन नीति, जिसे विशेष रूप से सरकार द्वारा राज्य में पशु प्रजनन और पशुधन विकास के लिए विधिवत अधिसूचित किया गया हो, अभिप्रेत है;
		(ज) ''प्रमाणित गौवंशीय सांड एवं महिषवंशीय भैंसा' से प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित गौवंशीय सांड एवं महिषवंशीय भैंसा, जो एक विशेष गौ एवं महिषवंशीय नस्ल के वीर्य उत्पादन के लिए रखा जाता है और निर्धारित मानकों का पालन करता है, अभिप्रेत है;

		(झ) ''अध्यक्ष'' से प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिप्रेत है;
		(স) ''भ्रूण'' से गौवंशीय एवं महिषवंशीय नर के वीर्य द्वारा मादा के डिम्ब के निषेचन के
		परिणाम स्वरूप विकसित एक संरचना अभिप्रेत है।
		(ट) ''विशेषज्ञ'' से एक विशेषज्ञ जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट शौक्षिक योग्यताओं को पूरा
		करता हो, अभिप्रेत है;
		(ठ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
		(ड) "मिथ्या छापवाली वीर्य" से ऐसा वीर्य जिसका डीएनए प्रोफाइल वीर्य बैंक या वीर्य
		स्ट्रा रिकॉर्ड में उल्लेख किए गए सांड के डीएनए प्रोफाइल के साथ मेल नहीं करता, अभिप्रेत;
		(ढ) ''वंशावली'' से सांड की वंशावली जानकारी जो पैतृकता को प्रदर्शित करती है, अभिप्रेत है;
		(ण) ''परिसर'' से किसी स्थान, भूमि, यार्ड, भवन या किसी अन्य जगह से है जिसका उपयोग वीर्य उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण, विक्रय मे किसी जाता है, अभिप्रेत है;
		(त) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
		(थ) ' 'मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला' ' से प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्राधिकृत कोई भी राष्ट्रीय
		स्तर की प्रयोगशाला, अभिप्रेत है;
		(द) "रजिस्ट्रार" से प्राधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है
		(ध) ''वीर्य'' से किसी भी रूप में गौवंशीय सांड एवं महिषवंशीय भैंसा के वीर्य अभिप्रेत है;
		(न) ''वीर्य बैंक'' से एक परिसर जहां विकय या वितरण के लिए गौ एवं महिषवंशीय वीर्य संग्रहीत है, अभिप्रेत है;
		(प)'' वीर्य स्टेशन'' से एक परिसर, जहां गौ एवं महिषवंशीय वीर्य का उत्पादक,
		प्रसंस्करण और भंडारण के लिए सुविधाएं स्थापित की गई है, अभिप्रेत है;
		(फ) "सेवाओं" से सरकार द्वारा निर्दिष्ट गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन सेवाएं अभिप्रेत है;
		(ब) "अधोमानक वीर्य" से वीर्य या वीर्य स्ट्रा से है जो उन मानकों को पूरा नहीं करता है, जो विहित किए जाए, अभिप्रेत है;
		(भ) ''पशुचिकित्सक'' से एक पंजीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी जिसे भारतीय
		पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 52 में 1984 परिभाषित किया गया है, अभिप्रेत है।
		अध्याय—दो
		गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन प्राधिकरण
प्राधिकरण का गठन	3.	(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसे गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन प्राधिकरण नाम से जाना जायेगा,

		(2) प्राधिकरण निम्नवत् संरचित होगा, अर्थात	
(एक)		निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
(दो)		निदेशक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर या उनके प्रतिनिधि (प्रधान वैज्ञानिक के पद से निम्न न हों)	सदस्य
(तीन)		संयुक्त आयुक्त, पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(चार)		अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (ऊधमसिंहनगर) या उनके प्रतिनिधि (सहप्राध्यापक के पद से निम्न न हो)	सदस्य
(पांच)		सरकार द्वारा नामित प्रख्यात पशु चिकित्साविद	सदस्य
(ড:)		सरकार द्वारा नामित प्रख्यात गौ एवं महिषवंशीय प्रजननक	
(सात)		अपर निदेशक (पशुधन विकास), पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	रजिस्ट्रार
	(3)	प्राधिकरण के कार्यकलाप का प्रबंधन और प्रशासन रजिस्ट्रार द्वारा किया जाए	गा
	(4)	प्राधिकरण विशेषज्ञों का एक परामर्शदाता पैनल तैयार करेगा जिनकी संख् अधिक न हो। विशेषज्ञों के पैनल में से, प्राधिकरण ऐसी समिति गढित करेग तीन से अधिक सदस्य न हों तथा यह समिति ऐसे कार्यों, जैसा कि प्राधिक आवश्यक हो, का संपादन करेगी। समिति के सदस्यों को निर्धारित मानकों के ऐसा मानदेय, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा, जैसा विहित किया	ा जिसमे रुण द्वारा वे अनुसार
	(5)	नामित सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की तिथि से तीन वर्ष के लिए मान् पदेन सदस्य प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।	य होगा।
प्राधिकरण का मुख्यालय	4.	प्राधिकरण का मुख्यालय देहरादून स्थित निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर कार्यालय भवन / परिसर में स्थापित होगा।	ाखण्ड के
प्राधिकरण की बैठकें	5.	(1) प्राधिकरण, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा, जैसा रजिस्ट्रार र परामर्श कर निर्धारित करे, और ऐसी बैठकों में कारबार का संव्यवहार के अपने व्यवसाय के लेनदेन के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का पालन / गणपूर्ति करेंगा, जैसा विहित किया जाय।	संबंध में
		(2) किसी बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति चार होगी।	सदस्य से

प्राधिकरण के कार्य	6.	इस अधिनियम में उपबन्धित और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन प्राधिकरण के कार्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात—
		(क) पशु प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रजनन नीति तैयार करवाना और उसे उत्तराखण्ड राज्य में लागू काराना;
		(ख) उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित या बाहर से लाया गया या अन्य किसी देश से आयातित वीर्य या भ्रूण के भंडारण, विक्रय और उपयोग को विनियमित करना;
		(ग) गौ एवं महिषवंशीय सांड जो निर्धारित मानकों को पूरा करता है, को प्रमाणित करना;
		(घ) इस अधिनियम के अध्याय 3 के प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड राज्य में वीर्य स्टेशन पंजीकृत करना;
		(ड़) उत्तराखण्ड राज्य में वीर्य बैंको को पंजीकृत करना;
		(च) गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के अनुसार प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को अधिकृत करना;
		(छ) गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन से संबंधित ऐसे अन्य समस्त कार्य, जो विहित किए जाए।
प्राधिकरण के विशेषज्ञ तथा अन्य कर्मचारी	7.	प्राधिकरण पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड के कर्मचारियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकरण ऐसी संख्या में ऐसी अर्हता वाले व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा, जैसा विहित किया जाय।
प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियां	8.	(1) इस अधिनियम के प्राविधानों और नियमों के अधीन गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन गितविधियों हेतु प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य होगा। (2) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को प्राप्त कार्यों के निर्वहन के लिए इस हेतु प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन गितविधियों में कार्यरत किसी वीर्य स्टेशन या संबंधित व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की शक्ति होगा।
		(3) प्राधिकरण को किसी भी परिसर, जहां गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन से संबंधित कोई गतिविधि की जाती है के प्रभारी व्यक्ति को या प्राधिकरण की राय में अधिनियम के किसी प्राविधान या इसके अधीन बनाए गए नियम का कोई उल्लंघन कर रहा हो, तो ऐसी सूचना ऐसे अपेक्षित प्ररूप में देने के लिए जैसा निर्दिष्ट हो, दिए जाने को निर्देश देने की शक्ति होगी।

		अध्याय–तीन
		वीर्य स्टेशनों तथा वीर्य बैंक का पंजीकरण और
		सांड और प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता का प्रमाणन
वीर्य स्टेशनों व पंजीकरण	का 9.	
		अन्य एजेंसी कृत्रिम गर्भाधान या भ्रूण के प्रत्यारोपण, वीर्य के उत्पादन और भंडारण के लिए वीर्य स्टेशन की स्थापना और संचालन प्राधिकरण से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना नहीं करेंगे।
		(2) कोई व्यक्ति जो कोई नया वीर्य स्टेशन स्थापित करने और संचालित करने की इच्छा रखता है, ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे शुल्क के साथ जैसा विहित की इच्छा रखता है, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे शुल्क के साथ जैसा विहित किया जाए, पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए आवेदन करेगा।
		(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से तीन महीने के भीतर विद्यमान वीर्य स्टेशन प्राधिकरण के पास रिजस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऐसे शुल्क के साथ, जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन करेगा। प्रारूप में अपेक्षित अन्य विवरण सहित वीर्य का वर्तमान भण्डार भी घोषित करेंगे।
		(4) एक नया वीर्य स्टेशन स्थापित करने या मौजूदा वीर्य स्टेशन संचालित करने का आशन रखने वाले आवेदक, जिन्होंने निर्धारित प्ररूप पर प्राधिकरण को पंजीकरण के लिए विहित शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा किया है, इस उपधारा के खंड (6) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने हेतु एक अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अस्थायी पंजीकरण का प्रमाण पत्र बारह महीने की अवधि के लिए वैध होगा। आवेदक के लिखित अनुरोध पर इसे छः महीने की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। प्राधिकरण विस्तार के संबंध में आवेदक को एक माह के भीतर अवगत कराएगा।
		(5) किसी नये वीर्य स्टेशन स्थापित करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने या विद्यमान वीर्य स्टेशन के लिए, उपरोक्त बारह महीने या विस्तारित छः माह की अविध के भीतर जो भी लागू हो निरीक्षण के लिए प्राधिकरण को लिखित में अनुरोध करेगा। तत्पश्चात् प्राधिकरण ऐसे निरीक्षण के लिए परामर्शदात्री पेंनल के विशेषज्ञों की समिति को भेजेगा।
		(6) प्राधिकरण, स्वयं को समाधान करने के पश्चात्

(क) वीर्य स्टेशन—
(एक) प्राधिकरण द्वारा विहित गौवंशीय सांड एवं महिषवशीय भैसा सांड के संगरोध के लिए परिसर है;
(दो) सांड की देखभाल और आवास के लिए परिसर है और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वीर्य संग्रहण, प्रसंस्करण, गुणवत्त नियंत्रण, भंडारण, वितरण और वीर्य स्ट्रा के समरोध की सुविधा है; तथा
(तीन) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वीर्य स्ट्रा के भंडारण के लिए परिसर है।
(ख) वीर्य स्ट्रा के उत्पादन के लिए वीर्य स्टेशन में उपयोग किए गए प्रत्येक सांड—
(एक) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित परीक्षणों मे नकारात्मक परिणाम पाये गये हैं।
(क) संगरोध स्टेशन पर अपनी प्रविष्टि से पूर्व।
(ख) संगरोध स्टेशन पर संगरोध अवधि के दौरान।
(ग) पालनपोषण केन्द्र में पालन करने के दौरान।
(घ) वीर्य स्टेशन पर।
(दो) केवल वहीं नस्ल जिन्हें पशु प्रजनन नीति के अन्तर्गत अनुमन्य किया गया है, नस्ल की विशेषताओं को पूर्ण करते हैं तथा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मात्रा तथा विभिन्न लक्षणों के लिए न्यूनतम मानकों और गुणवत्त जिसे समय—समय पर संशोधित और अधिसूचित किया जा सकता है का पालन करते हैं।
(ग) वीर्य स्टेशन उस सांड का एकदम सही विवरण रखता है, जिसके वीर्य स्ट्रा का उत्पादन, भंडारण, विकय एवं वितरण हेतु करना चाहता है या कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक प्रारूप पर वितरण हेतु करना चाहता है या कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक प्रारूप पर वितरण प्रस्तावित, जैसा कि निर्धारित है।
किसी नये वीर्य स्टेशन या विधमान वीर्य स्टेशन को पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा, जिसमें वीर्य स्टेशन का नाम और पता, वीर्य स्टेशन का पंजीकरण संख्या, वीर्य उत्पादन के लिए उपयोग के लिए उपयोग होने वाले गौवंशीय सांड तथा महिषवंशीय भैसा सांड की विशिष्ट पहचान संख्या, वीर्य स्टेशन के प्रभारी का नाम और ऐसे नियम और शर्तें, जैसा कि समीचीन समझा जाय, का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।
(7) इस धारा के अन्तर्गत वीर्य स्टेशन को दिये गये पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा ।

		(8) वीर्य स्टेशन, ऐसे रूप में तथा ऐसे शुल्क के साथ, जैसा कि निर्धारित हो, प्राधिकरण को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र की समाप्ति से न्यूनतम तीन महीने पहले आवेदन करेगा। प्राधिकरण स्वयं के समाधान के पश्चात् उप—धारा (6) में निर्दिष्ट शर्तों के संबंध में पंजीकरण का प्रमाण पत्र का पालन किया गया है, प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर पंजीकरण को दो वर्ष की अगली अविध के लिए नवीनीकृत करेगा। यदि नवीनीकरण प्रमाण पत्र तीन माह के भीतर जारी नहीं किया जाता है, तो जब तक अन्यथा सूचित न किया जाए, अनुमोदित समझा जाएगा।
		(9) कोई नया गौ एवं महिषवंशीय सांड जो वीर्य उत्पादन के मानकों को पूरा करता है, प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन और आवश्यक प्रमाणीकरण के बिना वीर्य उत्पादन के लिए वीर्य स्टेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रमाणित सांड की मृत्यु / छंटनी को प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।
		(10) प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात्, मौखिक और लिखित रूप में कारणों के अधार पर, पंजीकरण का प्रमाण पत्र देने या नवीनीकरण करने से इन्कार कर सकेगा।
		(11) पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण ऐसा करना अपेक्षित समझे, किन्तु एक वर्ष में न्यूनतम एक बार विशेषज्ञों की एक समिति वीर्य स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए भेजेगा।
वीर्य बैंको का पंजीकरण	10.	(1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को कोई व्यक्ति कोई भी फर्म, समिति देयता भागीदारी (एलएलपी), कंपनी, निर्माता सिहत कंपनी, संस्थान, गैर सरकारी संगठन, ब्रीडर्स एसोसिएशन, ट्रस्ट, केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग, सहकारी सिमित या कोई अन्य एजेंसी, प्राधिकरण से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना वीर्य बैंक की स्थापना अथवा संचालन नहीं करेगा।
		(2) उप—धारा (1) में संदर्भित पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऐसी शर्तों के अध्यधीन ऐसी रीति से जारी किया जाएगा, जैसा विहित किया जाय।
सांड का प्रमाणन	11.	(1) इस अधिनियम की प्रारम्भ की तारीख से कोई नया वीर्य स्टेशन प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित सांड के अतिरिक्त अन्य किसी गौ एवं महिषवंशीय सांड से वीर्य उत्पादन नहीं करेगा।
		(2) सांड को प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रमाणित करेगा जैसा विहित किया जाय।
		(3) प्राधिकरण प्रत्येक प्रमाणित सांड के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या सृजित करेगा और सभी समयों पर ऐसे प्रमाणित सांड के लिए सुरक्षित और स्थायी रूप से टैग करना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकताओं का प्रमाणन	12.	प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्राधिकरण द्वारा सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
वीर्य के विक्य का विनियमन	13.	(1) प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति वीर्य / भ्रूण का विकय, वितरण, उपहार के रूप मे हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।
		(2) उत्तराखण्ड राज्य के बाहर निर्मित वीर्य /भ्रूण को उत्तराखण्ड राज्य में इस तरह से और इस तरह की शर्तों के अधीन, जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है प्राधिकरण के पूर्ण अनुमोदन के बिना विक्रय, वितरित या भेट के रूप मे कृत्रिम गर्भाधान / प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकेगा।
		(3) कृत्रिम गर्भाधारण के लिए कोई वीर्य/भ्रूण किसी भी अन्य देश से इस तरह से और इस तरह की शर्तों के अधीन, जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना उत्तराखण्ड राज्य में आयात नहीं किया जाएगा।
पंजीकरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना	14.	यदि इस अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र या नवीनीकरण का जारी किया गया प्रमाणपत्र विरूपित, खोया या नष्ट हो गया है तो प्राधिकरण के संतुष्ट होने पर ऐसे शुल्क के भुगतान पर आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति जारी कर सकते हैं, जैसा विहित किया जाये।
पंजीकरण प्रमाण पत्र का निरसन करना	15.	यदि प्राधिकरण इस प्रकरण में किए गए संदर्भ के आधार पर या, प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समिति की जांच रिपोर्ट से या अन्यथा संतुष्ट है कि—
		(क) इस अधिनियम के तहत वीर्य स्टेंशन को दिए गए पंजीकरण का प्रमाण पत्र गलत बयानी या धोखधड़ी द्वारा प्राप्त किया गया है, या
		(ख) पंजीकरण प्रमाण पत्र का धारक बिना उचित कारण के जिसके अधीन प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसके नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहा है, या अधिनियम से किसी प्राविधान का उल्लंघन किया गया है, ऐसे शर्तो का जिसे विहित किया जाए का पालन नहीं किया है, तब प्राधिकरण किसी भी अन्य कार्यवाही के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जिसमें प्रमाण पत्र धारक इस अधिनियम के तहत उत्तरदायी हो सकता है, पंजीकरण प्रमाण पत्र के धारक को कारण बताने का अवसर देते हुए—
		(एक) जहां इस अधिनियम के तहत, पंजीकरण प्रमाण पत्र देने या इसके नवीनीकरण के समय, या धारा 9 के तहत, किसी भी व्यक्ति पर कोई शर्त लगाई गई है, और ऐसे व्यक्ति इस तहत की शर्तों का पालन करने में विफल हो गए है तो इसके लिए प्राधिकरण, व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देते हुए, पंजीकरण प्रमाण पत्र या नवीनीकरण को रद कर सकते है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कदम जैसे कि विहित किया जाए उठायेगा; अथवा

अपील	16.	(दो) प्रमाण पत्र धारक का पंजीकरण या नवीनीकरण का प्रमाण पत्र तब तक निलंबित कर सकतं हैं जब तक कि प्राधिकरण की संतुष्टि तक धारक सभी आवश्यक शर्तों का अनुपालन नहीं करता; अथवा (तीन) पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक से इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए एक शपथ पत्र लिया जायेगा। (1) प्राधिकरण के पंजीकरण प्रमाण पत्र को नवीनीकृत न करने, रद करने या निलंबित करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अपील, अपीलीय प्राधिकारी जो प्रशासकीय प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड होंगे के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। (2) अपीलीय प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील का
		निर्णय यथा संभव शीघ्र किन्तु तीन माह में किया जायेगा।
		अध्याय—चार
निरीक्षण, अन्वेषण और जब्ती कि शक्तियां	17.	(1) प्राधिकरण या इसकी ओर से प्राधिकृत विशेषज्ञों की समिति के सदस्य अधिनियम के किन्ही प्राविधानों के अधीन दिये गये प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने निरक्षण और जांच के प्रयोजन के लिए—
		(क) किसी भी परिसर में, जहां विश्वास करने का यह आधार हो कि इस अधिनियम के प्राविधानों का कोई उल्लंघन हो रहा है या प्रमाण पत्र धारक इस अधिनियम या नियम के प्राविधानों में निर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन की गतिविधियां कर रहा है, में प्रवेश, निरीक्षण और अन्वेषण कर सकेगा।
		(ख) किसी भी वीर्य स्टेशन के परिसर से वीर्य, रक्त या वीर्य उत्पादन में उपयोग किए गए किसी अन्य सामग्री के नमूने एकत्र कर सकेगा और किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से नमूने का विश्लेषण करवा सकेगा। ऐसे सभी वीर्य भण्डार जो अप्रमाणित सांड़ से है को तुरंत नष्ट किया जायेगा और वीर्य प्रसंस्करण के उपकरण मुहरबंद किये जायेंगे।
		(2) तलाशियों और अभिग्रहण से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध यथासम्भव उप—धारा (1) के अधीन तलाशियों और अभिग्रहण पर लागू होंगे।
अभिलेखों का रखरखाव और प्रस्तुतिकरण	18.	(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण का प्रमाण पत्र रखता है, अपने व्यवसाय के लेन—देन संबंधित ऐसे पंजिकाओं, लेखा और अभिलेखों जिस प्ररूप में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, बनाए रखेगा।
		(2) प्रत्येक व्यक्ति जो वीर्य स्टेशन / वीर्य बैंक के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र रखता है, प्रधिकरण को विहित प्ररूप में दो प्रतियों में प्रस्तुत करेगा और प्रमाणन के लिए प्रस्तावित नए सांड के संबंध में, जिसके वीर्य का उपयोग किया जा सकता है, एक वार्षिक रिपोर्ट, दो प्रतियों में ऐसे प्रस्तुत करेगा, जैसा विहित किया जाए।

निर्देश देने की शक्ति	19.	किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किन्तु इस अधिनियम के प्राविधानों तथा सरकार द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देशों के अधीन प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्ति और उसके कार्यों के निष्पादन में, किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित रूप में कोई निर्देश जारी करते हैं तो, ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को लिखित रूप में कोई निर्देश जारी करते हैं तो, ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। इस धारा के अधीन दिशा—निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। इस धारा के अधीन दिशा—निर्देश जारी करने की शक्ति में निर्देश देने की शक्ति भी निहित हैं— (एक) किसी भी गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन से संबंधित गतिविधि, कियाकलाप, प्रकिया
		को बंद करना, निषेध या विनियमन; या (दो) बिजली, पानी या किसी भी आपूर्ति तथा अन्य सेवा को रोकना या विनियमन।
अधिनियम के तहत संदेहपूर्ण गो एवं महिष वंशीय प्रजनन गतिविधियों के विरूद्ध न्यायालय मे आवेदन दंड	20.	(1) यदि किसी भी व्यक्ति, फर्म कंपनी या गैर—सरकारी संगठन जिस पर प्राधिकरण को संदेह है कि अधिनियम या नियम के प्राविधानों के तहत प्रजनन सेवाओं या वीर्य/भ्रूण के विक्रय और आपूर्ति के उल्लंघन में लिप्त है तो प्राधिकरण या इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उक्त व्यक्ति को उस गतिविधि को चलाने से रोकने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा। (2) उप—धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायालय किसी भी व्यक्ति को उक्त कार्य कलाप करने से निर्बन्धित करने हेतु आदेश पारित कर सकेगा। या दिशा
		निर्देश दे सकेगा या ऐसे आदेश पारित कर सकेंगा जैसा उचित समझ जाय।
दंड	21.	(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है वह एक वर्ष तक के कठोर कारावास या एक लाख रूपए तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।
		(2) इस प्रकार अधिरोपित जुर्माना संबंधित व्यक्ति से भू—राजस्व के बकाए के रूप में वसूल किया जायेगा।
अपराध का संज्ञान	22.	(1) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा की गई परिवाद का कोई न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा।
		(2) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से तुलनात्मक रूप मे निम्न न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।
		(3) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए प्राधिकरण द्वारा, अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत एक अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई अभियोजन प्रारम्भ नहीं किया जा सकेगा।
		(4) इस अधिनियम के तहत अनिधकृत वीर्य या भ्रामक ब्रांडेड या अधो–मानक वीर्य का उपयोग, उत्पादन, भण्डारण, वितरण, विक्रय, किसी भी रूप में स्थानांतरण, आयात निर्यात संज्ञेय अपराध होगा।

		AWTHT THE
		अध्याय—पाँच विविध
मान्यता प्राप्त	23.	ावावध इस अधिनियम के अधीन कोई उदेश्यपूर्ण अभिलेख जिसे एक मान्यता प्राप्त
प्रयोगशाला की रिपोर्ट	23.	प्रयोगशाला ने एक रिपोर्ट के माध्यम से जारी किया गया हो, उसका उपयोग किसी प्रकार के तथ्य के प्रमाण के रूप में कार्यवाही के लिये किया जा सकेगा।
स्थानीय प्राधिकरणो का सहयोग	24.	सभी स्थानीय प्राधिकरण ऐसी सहायता प्रादान करेंगे और ऐसी जानकारी प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे जो कि इस प्राधिकरण को उसके कार्यों के निर्वहन में आवश्यक हो तथा जैसा आवश्यक हो ऐसे अभिलेख, निरीक्षण और परीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा।
रिर्पोर्ट	25.	प्राधिकरण, सरकार को उसकी निधि, गतिविधियों एवं नतियों के संबंध में ऐसे प्रतिवेदन, सांख्यिकी, और अन्य सूचनायें उपलब्ध कराएगा जैसा कि। समय—समय पर सरकार द्वारा अपेक्षित हो।
प्राधिकरण के	26.	प्राधिकरण के सभी विशेषज्ञ, अधिकारी और कर्मचारी इस अधिनियम के नियमों के
विशेषज्ञ, अधिकारी कर्मचारी लोकसेवक होंगे		किसी भी प्राविधानके अनुपालन में कार्य करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अधीन लोकसेवक समझे जायेंगे।
अधिकारिता का वर्जन	27.	किसी भी दीवानी न्यायालय को, किसी मामले में जिसके संबंध में सरकार या कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी संज्ञान लेने या मामले के निस्तारण के लिये इस अधिनियम द्वारा सशक्त किया गया है एवं रीति, जिसमें सरकार या ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसमें निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है, क्षेत्राधिकार नहीं होगा।
सद्भावना के उद्श्य से किये गये कार्यों में सुरक्षा	28.	प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारियों पर उनके द्वारा इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावना एवं सार्वजनिक हित मे किये गये या किये जाने के लिये आशयित कार्यों के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
सरकार की नियम बनाने की शक्यां	29.	(1) सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी।
		(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार ऐसे नियम बना सकेगी, जैसा विहित किया जाय।
		(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम शीघ्रातिशीध्र विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे।
कठिनाईयों के निवारण की शक्तियां	30.	(1) यदि इस अधिनियम के प्राविधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो सरकार कठिनाईयों के निवारण हेतु राजपत्र में आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों से संगत उपबन्ध कर सकेगी;
		परन्तु यह कि इस उप धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नही किया जायेगा और ऐसे आदेश शीघ्रातिशीघ्र विधान के समक्ष रखे जायेंगे।
		(2) सरकार प्राधिकरण को ऐसे दिशा—निर्देश जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के कियान्वयन के प्रयोजनों हेतु समीचीन हो, जारी कर सकेगी।

प्राधिकरण	हेतु 31.	प्राधिकरण के संचालन हेतु बजट का आबंटन उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट
बजट		बोर्ड की मद से किया जायेगा।

......

The Uttarakhand Boving Breeding Act, 2018 [Uttarakhand Act No. 19 of 2018]

An Act

to provide for improvement of bovines by regulating bovine breeding activities including use of bovine breeding bulls for production of bovine semen, processing, storage, sale and distribution of bovine semen, and artificial insemination and any other breeding activity in bovines in the State of Uttarakhand and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be It enacted by the Legislature of the State Of Uttarakhand in Sixty-nineth years of Republic of India as follows-

Chapter -1 Preliminary

Prennunary				
Short title and	1.	(1) This Act may be called the Uttarakhand Bovine Breeding Act, 2018.		
commencement		(2) It shall extend to the whole State of Uttarakhand.		
		(3) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.		
Definitions	2.	In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-		
		(a) "Artificial Insemination" or "A.I." means the technique used for depositing bovine semen into the mature female reproductive tract by artificial means;		
		(b) "Authority" means the Bovine Breeding Authority constituted under section 3 by the State Government;		
		(c) "A.I. Technician" means a veterinarian or Livestock Extension Officer or Veterinary Pharmacist (by whatever name called) or trained A.I. worker to be certified by the Authority who possess prescribed educational qualification expertise and experience;		
		(d) " Bovine " means a cow, bull, cow-heifer, buffalo, he-buffalo and buffalo heifer;		
		(e) "Bovine Breeder" means any person or organization or firm or agency engaged in bovine breeding activity;		
		(f) "Bovine Breeding" means breeding activities in bovines that include the use of bovine bulls, semen or embryos;		
		(g) "Breeding Policy" means the Livestock Breeding Policy, duly notified by the Government to promote breeding and development of livestock, especially of bovines in the State;		
		(h) "Certified Bull" means a bovine bull certified by the Authority, which is kept for semen production for a particular bovine breed and meets the standards, as may be prescribed;		

	(i) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;
	(j) "Embryo" means a structure developed as a result of fusion of bovine male and female gametes;
	(k) "Expert" means an expert who fulfills the educational qualifications as specified by the Authority;
	(l) "Government" means the Government of Uttarakhand;
	(m) "Misbranded Semen" means semen whose DNA profile does not match with DNA profile of the bull, mentioned in the record of semen bank or semen straw;
	(n) " Pedigree " means genealogical information showing the ancestral line of the bull;
	(o) " Premises " means any place, land, yard, building or any other site that is used for semen production, storage, transport, distribution, trade or utilization;
	(p) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
	(q) "Recognized Laboratory" means national level laboratory, duly authorised by the Authority;
	(r) " Registrar " means the Registrar of the Authority;
	(s) "Semen" means the semen of cow bull or buffalo bull in any form;
	(t) "Semen Bank" means a premises where the bovine semen is stored for trading or distribution;
	(u) "Semen Station" means premises, where facilities are set up for the production, processing and storage of bovine semen;
	(v) "Services" means any of the bovine breeding services, as may be specified by the Government;
	(w) "Sub-standard Semen" means semen or semen straws that do not meet the standard, as may be prescribed; and
	(x) " Veterinarian " means a registered veterinary practitioner as defined in the Indian Veterinary Council Act, 1984 (Central Act No. 52 of 1984).
	Chapter II
	Bovine Breeding Authority
Constitution of the Authority	3. (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute an Authority to be known as the Bovine Breeding Authority.

		(2) The Authority shall consist of the following:-
		(i) Director, Animal Husbandry, Uttrakhand – Chairperson;
		(ii) Director, Indian Veterinary Research Institute, Izzatnagar or its representative (not below the rank of Principal Scientist) - Member;
		(iii) Joint Commissioner, Animal Husbandry, department of Animal Husbandry, Dairying, and Fisheries, Ministry of Agriculture and farmer's Welfare, Government of India- <i>Member</i> ;
		(iv) Dean, Collage of Veterinary and Animal Sciences, G.B. pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, District U.S.Nagar or its representative (not below the rank of Associate Professor) – <i>Member</i> ;
		(v) Eminent retired veterinarian to be nominated by the State Government; <i>Member</i> ;
		(vi) Eminent bovine breeder to be nominated by the State Government- Member;
		(vii) Addl. Director (Livestock Development) Department of Animal Husbandry, Uttarakhand- <i>Registrar</i> .
		(3) The affairs of the Authority shall be managed and administered by the Registrar.
		(4) The Authority shall draw-up a consultative panel of experts consisting of not more than nine members. Out of the panel of experts, the Authority shall constitute committee of not more than three members which shall perform such functions, as may be required by the Authority. The members of such Committee shall be entitled for such honorarium, travelling allowance and daily allowance, as may be prescribed.
		(5) Tenure of nominated member shall be valid for three years from the dated of ex-officio member shall continue during pleasure.
Headquarter of the Authority	4.	The Headquarter of the Authority shall be at the office of the Director, Animal Husbandry, Uttarakhand.
Meetings of the Authority	5.	(1) The Authority shall meet at such time and place as the Registrar may determine in consultation with the Chairperson and shall observe such procedure with regard to the transaction of its business at such meetings, as may be prescribed.
		(2) the quorum necessary for the transaction of business at a meeting shall be four members.

Functions of the Authority	6.	As provided in this Act and the rules made thereunder, functions of the Authority shall be as under-
		(a) to formulate and implement the breeding policy and services in the State of Uttarakhand;
		(b) to regulate the storage, sale and use of semen or embryos produced within or brought in from outside the State of Uttarakhand or imported from any other country;
		(c) to certify bovine bulls, which meet the standards, as may be prescribed;
		(d) to register semen stations in the State of Uttarakhand as per the provisions laid down in Chapter III of this Act;
		(e) to register semen banks in the State of Uttarakhand;
		(f) to certify the trained AI workers for operating bovine breeding activities in the State of Uttarakhand through appropriate Standard operative procedures to be laid down by the Authority;
		(g) to perform such other functions concerning bovine breeding, as may be prescribed.
Experts and other personnel of the Authority	7.	The Authority shall discharge its duties through the staff of Animal Husbandry department, Uttarakhand. The Authority may appoint such number of person having such qualification for the discharge of functions of this Act.
Jurisdiction and powers of the Authority	8.	(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have jurisdiction all over the State of Uttrakhand in respect of bovine breeding activities.
		(2) For the discharge of the functions conferred on the Authority under this Act, the Authority or any officer empowered by it in this behalf shall have the power to obtain any required information from any semen station or related person engaged in bovine breeding activities.
		(3) The Authority shall have the power to give directions requiring any person in-charge of any premises, where any activity relating to bovine breeding is carried out or who in its opinion is contravening any of the provisions of this act or the rules made thereunder, to furnish such information and in such form, as may be specified by it.

[The Uttarakhand Bovine Breeding Act, 2018]

		Chapter III
		Registration of semen stations and semen banks and certification of bulls and trained A.I. workers
Registration of semen stations	9.	(1) On and from the date of commencement of this act, no person (including any Firm, Limited Liability partnership (LLP), Company, producer Company, Institution, NGO, Breeders Association, Trust, Department of Central/ State Government, Co-operative Society or any other agency), shall establish and operate a semen station for production and storage of semen doses for artificial insemination or production and transfer of embryos without obtaining a certificate of registration from the Authority.
		(2) Any person who desires to establish and operate a new semen station shall make an application for registration or renewal in such form along with such fee, as may be prescribed.
		(3) The existing semen stations shall apply to the Authority for grant of certificate of registration in such form along with such fee, as may be prescribed, within three months from the date of commencement of this Act. They shall also declare the current stock of semen along with such other details as may be required in the form.
		(4) Applicants intending to set-up a new semen station or operating existing semen station, who have submitted an application form along with prescribed fee to the Authority, shall be issued a provisional certificate of registration to meet the conditions specified in sub-section.
		(5) For the grant of certificate of registration for a new semen station or the existing semen station, the applicant shall make a written request to the Authority for inspection within the above twelve months or the extended period of six months, whichever applicable. The Authority shall thereupon, send a committee of experts from the consultative panel for such inspection.
		(6) The Authority, after satisfying itself that-

- (A) the semen station,-
 - (i) has premises for the quarantine of bovine bulls, as may be prescribed by the Authority;
 - (ii) has premises for the rearing and housing of bulls and the collection, processing, quality control, storage, distribution and quarantine of semen doses as may be prescribed by the Authority; and
 - (iii) has premises for the storage of semen doses as may be prescribed by the Authority;
- (B) every bull, used in the semen station for production of semen doses,-
 - (i) has tested negative to the tests as may be prescribed by the Authority:
 - (a) prior to its entry to a quarantine station;
 - (b) during quarantine period at a quarantine station;
 - (c) during rearing at a rearing station; and
 - (d) at the semen station;
 - (ii) conforms to breed characteristics of the permitted breeds only as may be specified in the breeding policy and meets the minimum standards for various traits in terms of quantity and quality as may be specified by the Authority and as modified and notified from time to time;
- (C) the semen station maintains accurate details of the bull, whose semen doses it would like to produce, store, sell, distribute or proposes to distribute for artificial insemination in a format, as may be prescribed;

shall grant the certificate of registration to a new semen station or the existing semen station clearly specifying the name and address of the semen station, registration number of the semen station, unique identification No. of certified bulls to be used for semen production, name of the Incharge of the semen station and such terms and conditions, as it may deem fit.

(7) The certificate of registration granted to semen station under this section shall be valid for a period of two years from the date of its issue.

		 (8) The semen station shall, in such form and alongwith such fee, as may be prescribed, apply for renewal of registration to the Authority at least three months before the expiry of the certificate of registration. The Authority after satisfying itself that the conditions specified in subsection (6) with regard to certificate of registration have been adhered to, shall renew the registration for a further period of two years, within three months from the date of receipt of application. If the renewal certificate is not issued within three months, approval shall be deemed to have been accorded, unless communicated otherwise. (9) Any new bovine bull that meets the standards for semen production shall not be inducted in the semen station for semen production without the prior approval and necessary certification from the Authority. Death/ culling of certified bull shall be informed to the Authority.
		(10) The Authority may, after giving the applicant an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing, refuse to grant or renew the certificate of registration.
		(11) The Authority shall send a Committee of experts to inspect a semen station as and when desired, but at least once in a year, to ensure compliance of the conditions specified in the certificate of registration.
Registration of semen Banks	10.	(1) On and from the date of commencement of this Act, no person including any Firm, Limited Liability Partnership (LLP), Company, Producer Company, Institution, NGO, Breeders Association, Trust, Department of Central or State Government, Co-operative Society or any other agency) shall establish and operate a semen bank without obtaining a certificate of registration from the Authority.
		(2) The certificate of registration referred to in sub-section (1) shall be issued in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.
Certification of Bulls	11.	(1) On and from the date of commencement of this act, no new semen station shall carry out semen production from any bovine bull other than those certified by the Authority.
		(2) The bulls shall be certified by the Authority in such manner and subject to such conditions, as may be specified.
		(3) The Authority shall generate a unique identification number for each certified bull and it shall be mandatory for the semen stations to tag this unique identification No. securely and permanently to the certified bulls at all times.

[The Uttarakhand Bovine Breeding Act, 2018]

ority in such manner the Government.
emen/ embryo to any y the Authority.
Uttarakhand shall be distributed or gifted he prior approval of and subject to such
ificial insemination/ other country, except inted in such manner d.
renewal issued under ay upon satisfaction, at of such fee, as may
to it in this behalf or rts constituted by the
this Act to a Semen raud; or
out reasonable cause, subject to which the y of the provisions of ditions, as may be
to which the holder Authority may after opportunity to show
posed on any person, val thereof, or under such conditions, the ng heard, revoke the hall take such steps

[The Uttarakhand Bovine Breeding Act, 2018]

		(ii) suspend the certificate of registration or renewal till the holder of the
		certificate complies with all the required conditions to the satisfaction of the Authority; or
		(iii) take an affidavit from the holder of the certificate of registration, to comply with the provisions of this Act.
Appeal	16.	(1) Any person aggrieved by an order of the Authority refusing to grant or renew a certificate of registration or revoking or suspending the certificate of registration under the provisions of this Act, may file an appeal before the Appellate Authority, who shall be the Administrative Principal secretary/ Secretary of the department of Animal Husbandry, Uttarakhand.
		(2) The Appellate Authority, after giving a reasonable opportunity of being heard to the applicant, shall decide the appeal, as expeditiously as possible, but within three months.
		Chapter IV
Power to inspect, search and seizure	17.	(1) The Authority or members of the Committee of experts authorised by it in this behalf, with a view to ensure compliance with the terms and conditions of the certificate of registration or any provisions of this Act, or for the purpose of inspection and inquiry, may-
		(a) enter, inspect and cause or conduct search of any premises in which it has reason to believe that any activity in contravention of the provisions of this Act is going on or there is any contravention of any of the provisions of this act or rules made there under or the holder of certificate is doing activities in violation of the terms and conditions specified in the certificate of registration issued under this Act.
		(b) collect samples of semen, blood or any other material used in semen production from the premises of any semen station and have such samples analyzed from a recognized laboratory. All the stock of the semen which is from uncertified bull shall be destroyed immediately and semen processing equipment shall be sealed.
		(2) The provisions of the Criminal Procedure Code, 1973 relating to search and seizure shall, as far as may be, apply to searches and seal/ seizures under sub-section (1).
Maintenance and submission of records	18.	(1) Every person who holds a certificate of registration under this Act shall maintain such books, accounts and records relating to his business transactions in such form, as may be specified by the Authority in this behalf.
		(2) every person who holds a certificate of registration for a semen station/ semen bank shall submit to the Authority, in duplicate in such form and an annual report in duplicate with respect to new bulls proposed for certification whose semen is to be put on use in such form, as may be prescribed.

[The Uttarakhand Bovine Breeding Act, 2018]

Power to give directions	19.	Notwithstanding anything contained in any other law, but subject to the provisions of this Act, and to any directions that the Government may give in this behalf, the Authority, may in exercise of its powers and performance of its functions under this Act, issue any directions in writing to any person, officer, or authority, and such person, officer or authority, as the case may b, shall be bound to comply with such directions. The powers to issue directions under this section shall include the power to direct,-
		(i) the closure, prohibition or regulation of any operation, process or activity related to bovine breeding; or
		(ii) the stoppage or regulation of supply of electricity, water or any other service.
Power to make application to courts for restraining apprehended bovine breeding activities in contravention of	20.	(1) Where it is apprehended by the Authority, that any person, firm, company or Non-government Organization is engaged in the bovine breeding services or trading and supply of semen/ embryo in contravention of the provisions of this act or rules made there under, the Authority or any officer authorized by it, may file a complaint in the court of Judicial Magistrate First class for restraining the said person from carrying out the said activity.
this Act		(2) On receipt of an application under sub-section (1), the Court may pass an order restraining any such person, to carry out the said activity or given such directions or pass such order as it may deem fit.
Penalties	21.	(1) Any person who contravenes or violates any provision of this Act or rules made thereunder, shall be punished with rigorous imprisonment up to one year or a fine up to one lakh rupees or both.
		(2) The fine so imposed, may be recovered from the person concerned, as arrears of land revenue.
Cognizance of offences	22.	(1) No court shall take cognizance of any offence under this act, except on a complaint made by the Authority or any officer authorized by it in this behalf.
		(2) No court inferior to that of a Judicial Magistrate of the First class shall try any offence punishable under this Act.
		(3) No prosecution for offences punishable under this Act shall be instituted, except with the prior sanction of an officer authorized in this behalf by the Authority, by notification.
		(4) Production, possession, distribution, sale, transfer in any form, import- export or use of unauthorized semen or misbranded or sub-standard semen shall be a cognizable offence under this Act.

[The Uttarakhand Bovine Breeding Act, 2018]

		Chapter V
_		Miscellaneous
Report of recognized Laboratory	23.	Any document purporting to be a report duly issued by a recognized laboratory may be used as evidence of the facts stated therein in any proceedings under this Act.
Local Authorities to assist	24.	All local authorities shall render such help and assistance and furnish such information to the Authority, as it may require for discharge of its functions and shall make available such records for inspection and examination as may be necessary.
Reports	25.	The Authority shall furnish to the Government such reports, statics and other information with respect to its funds, activities or policies as required by the Government, from time to time.
Experts, Officers and officials of the Authority to be public servants	26.	All expert, officer and official of the Authority, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act and the rules made thereunder shall be deemed to be public servants under section 21 of the Indian Penal Code.
Bar on jurisdiction	27.	No civil court shall have any jurisdiction in any matter, in respect of which the Government or any other person or authority is empowered by this act to take cognizance, and dispose it of, and the manner in which the Government or such person or authority may exercise any power, vested in it or him by or under this Act.
Protection of action taken in good faith	28.	No suit or other legal proceedings shall lie against any member, officer or officials, of the Authority in respect of anything which is in good faith and public interest, done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.
Power of Government to	29.	(1) The Government may, by notification in the official Gazette make rules for carrying out the proposes of this Act.
make rules		(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Government may make such rules, as may be prescribed.
		(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the house of the State Legislature.
Power to remove difficulties	30.	(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by an order published in the official Gazette, make such provisions consistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty;
		Provided that no orders under this sub section shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.
		(2) The Government may issued such guidelines to the Authority as it is expedient for the purpose of implementation of the provisions of this Act.

Funds of the	31.	The budgetary allocation for the performance of the Authority shall be
Authority		done from the head of Uttarakhand Livestock Development Board.
